

प्रारूप-23

परियोजना का नाम :-

जनपद चमोली के वन प्रभाग बद्रीनाथ में चमोली/नन्दप्रयाग/हिमालय रेंज के अन्तर्गत
एन0एच0/एस0एच0/डी0एम0आर0 नन्दप्रयाग-कश्मीर पुल-लुनथरा-कुरुब-घाट-धौली (49.5 किमी.) /
नारायणगढ़-परमाल-रेन्स (नोपता) (13.2 किमी.) जिसकी
कुल लम्बाई 72.8 किमी0 एवं 0.416 हे0, में मोटरमार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु भूमि का वन (संरक्षण)
अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि0, प्रथम तल, रिलायंस मार्केट जी0एम0एस0 रोड, निरंजनपुर,
देहरादून को वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।



वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
हिमालय रेंज
नारायणगढ़

3/11/2019
उपजिलाधिकारी
चमोली